न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला भोखावत (आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :– 56/2021

वादीगण :–

1. नारायणराम पुत्र स्व. भाकरलाल
2. गीतादेवी पत्नी स्व. भाकरलाल
3. मीरादेवी पुत्री स्व. भांकरलाल
4. तीजादेवी पुत्री स्व. भांकरलाल वादी सं. 1 स्वयं, तथा वादी सं. 2 से 4 जरिये आम मुख्त्यार श्री नारायणराम पुत्र भांकरलाल सभी जातियान मोची, निवासीगण ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास आबाद चक 28 के.जे.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राज

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चंचलदेवी पुत्री भांकरलाल जाति मोची निवासी बिजलीघर चौराहा, जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :– वादीगण की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या – 2 सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> **दिनांक :–** 19/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एव प्रतिवादी स 1 के नाम की कृशि भूमि ग्राम भावी सीरवीबास, पटवार हल्का भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नंबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर किस्म नहरी दोयम आयी हुयी है। जिसके वर्तमान खाता स 507 है। जिसमें वादी सं. 1 का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 हिस्सा, वादी स 3 का 1/5 हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/5 तथा प्रतिवादी स. 1 का 1/5 हिस्सा निहित व दर्ज है। वास्ते सबूत चालू जमाबदी सवत 2076 से 2079 वाद के साथ पे ा है। उपरोक्त भूमि का आगे के पदों मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृशि भूमि है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पहले वादीगण तथा प्रतिवादी स. 1 के पिता/पति भांकरलाल जी की खातेदारी की थी तथा भांकरलाल जी का देहान्त होने पर उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 के नाम खातेदारी में दर्ज की गयी। जिसमें प्रत्येक वादी का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। विवादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी स. 1 से 11 वादी क हक व हिस्से की भूमि में का त करने में दखल करने से पक्षकारो मे विवाद रहता है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का तहसील कार्यालय बिलाडा में चलकर लिखित व विधिवत बटवाडा करवाने हेतु निवदन किया, लेकिन प्रतिवादी स. 1 ने उपरोक्त वादग्रस्त भूमि बटवाडा करवाने से स्पष्ट मना कर दिया। इसलिए वादीगण को अपनी उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का

सहायक कलक्टर
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

बंटवाडा करवाने हेतु यह वाद पे । करना पड रहा है। प्रतिवादी स. 1 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर का त करने में अड़चन पैदा कर रहे है। इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाडा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादी के कब्जे का त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निशेधाज्ञा के लिए दावा पे । करना पड रहा है। वाद कारण दिनांक 18.11.2021 का तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का तहसील में चलकर लिखित व विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु निवेदन किया जाने पर तथा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मना करने पर बमुकाम ग्राम भावी सीरवीवास तहसील बिलाडा में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अन्त में निवेदन है कि ग्राम भावी सीरवी वास पटवार हल्का भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा स. 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में स्थित वादीगण के 1/5–1/5 हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम भावी सीरवीबास पटवार हल्का भावी सीरवीबास, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में खसरा नबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में वादीगण प्रत्येक के 1/5–1/5 हिस्से की भूमि मे किसी प्रकार बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करें। अन्य अनुतोश जो वादीगण पाने का अधिकारी हो वादीगण के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनाक 04.12.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम भावी सीरवी वास की सरहद में भूमि खसरा नंबर 4348 रकबा 0.6715 हैक्टयर में वादी स. 1 का 1/5 वा हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/5 वा हिस्सा व वादी स. 3 का 1/5 वा हिस्सा, वादी स. 4 का 1/5 वां हिस्सा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम का तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	नारायणराम पुत्र शंकरलाल 1/4 गीतादेवी पत्नी शंकरलाल 1/4 तीजादेवी पुत्री शंकरलाल 1/4 मीरादेवी पुत्री शंकरलाल 1/4 जाति मोची सा.देह खातेदार	4348	0.5372
	कुल खसरा	1	0.5372
	चंचलदेवी पुत्री शंकरलाल जाति मोची सा.देह खातेदार	4348	0.1343
	कुल खसरा	1	0.1343

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बटवाड़ा

प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.06.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाडा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण व प्रतिवादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वय करे एव न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 18.06.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 4/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा